वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन/ चयन की प्रक्रिया एवं योजना की संक्षिप्त विवरणी :–

उद्देश्य :–

राज्य के बेरोजगार युवा/युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्व–रोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लागू की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के चारों घटकों यथा–मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजनान्तर्गत जिलावार निर्धारित लक्ष्य के आधार पर प्रति घटक 2000 के हिसाब से 8000 तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजनान्तर्गत 1247 अर्थात कुल 9247 आवेदनों का चयन किया जाना है। योजनान्तर्गत ज्यादातर इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने एवं उनकी मार्केटिंग की संभावनाओं को देखते हुए सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनान्तर्गत सूचीबद्ध परियोजनाओं को कैटेगरी–(A), (B) एवं (C) के रूप में विभाजित किया जायेगा।

कैटेगरी–A :– इस कैटेगरी में वैसे परियोजनाओं को रखा गया है जिसका प्रासंगिकता जिलों द्वारा सबसे अच्छा बताया गया है। इनके उत्पादों की मांग ज्यादा है जिससे अधिकतर इकाइयाँ बेहतर ढंग से संचालित है। इस कैटेगरी के तहत 23 परियोजनाओं के लिए 5000 लाभुकों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध परियोजनाएँ निम्नवत हैं :–

1. ऑयल मिल, 2. बेकरी प्रोडक्ट्स (ब्रेड, बिस्कीट, रस्क इत्यादि), 3. मसाला उत्पादन, 4. आटा, बेसन उत्पादन (पलवराइजर मशीन के साथ), 5. होटल/रेस्टुरेन्ट/ढ़ाबा, 6. नोट बुक/कॉपी/फाईल/फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग (एज स्क्वायर मशीन को छोड़कर), 7. मेडिकल जॉच घर, 8. साईबर कैफे/आई0टी0 बिजनेश सेन्टर, 9. ऑटो गैरेज/बाईक, 10. फ्लैक्स प्रिन्टिग, 11. ऑयल मिल/मसाला उत्पादन, 12. जैम/जेली/सॉस/फ्रुट जूस उत्पादन, 13. कॉर्न फ्लेक्स/कॉन पॉफ उत्पादन, 14. आईस्क्रीम उत्पादन/डेयरी प्रोडक्ट्स 15. आटा, बेसन, सत्तु, मसाला उत्पादन, 16. बढ़ईगिरी एवं मधुमक्खी का बक्सा निर्माण, 17. स्टील फर्निचर, अलमीरा, बॉक्स, ट्रंक, रैक निर्माण, 18. कृषि यंत्र/ गेट ग्रिल/वेल्डिंग/ हॉस्पीटल बेड/ट्रॉली/हल्के वाणिज्यिक वाहन का बॉडी/रॉलिंग शटर निर्माण, 19. कैटल फीड/पॉल्ट्री फीड उत्पादन, 20. सीमेन्ट जाली/दरवाजा/खिड़की/पेभर ब्लॉक एवं टाईल्स निर्माण, 21. फ्लाई एश ब्रिक्स/आर0सी0सी0 स्पुन ह्यूम पाईप निर्माण, 22. स्पोर्ट्स सूज/पी0भी0सी0 फूटवेयर, 23. बांस का समान/बेंत का फर्निचर निर्माण,

कैटेगरी–(B) :– इस कैटेगरी में वैसे परियोजनाओं को रखा गया है जिसका प्रासंगिकता जिलों द्वारा औसतन बताया गया है। इस कैटेगरी के तहत 23 परियोजनाओं के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध परियोजनाएँ निम्नवत हैं :–

1. पोहा/चूड़ा उत्पादन, 2. मखाना प्रोसेसिंग, 3. दाल मिल, 4. कॉर्न फ्लैक्स उत्पादन, 5. सत्तु उत्पादन, 6. बढ़ईगिरी (सी0एन0सी0 राउटर के साथ), 7. नेल/कांटी निर्माण, 8. रॉलिंग शटर

निर्माण, 9. हल्के वाणिज्यिक वाहन का बॉडी निर्माण, 10. कैटल फीड उत्पादन, 11. पॉल्ट्री फीड उत्पादन, 12. नोट बुक/कॉपी/फाईल/फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग (एज स्क्वायर मशीन के साथ), 13. ड्राई क्लिनिंग, 14. सेनेटरी नैपकिन/डिस्पोजल डाईपर उत्पादन, 15. डिटरजेन्ट पाउडर उत्पादन, 16. प्लास्टिक आईट्म/बॉक्स/बोटल, 17. पेभर ब्लॉक एवं टाईल्स, 18. फ्लाई एश ब्रिक्स, 19. पावरलूम इकाई, 20. पेपर बैग उत्पादन, 21. पेपर प्लेट उत्पादन, 22. लेदर एवं रेक्सिन प्रोडक्ट्स का उत्पादन, 23. रेडिमेड ग्रार्मेन्ट्स (निटिंग/होजियरी),

कैटेगरी–(C):– इस कैटेगरी में वैसे परियोजनाओं को रखा गया है जिसका प्रासंगिकता जिलों द्वारा संतोषजनक बताया गया है। इस कैटेगरी के तहत 12 परियोजनाओं के लिए 747 लाभुकों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध परियोजनाएँ निम्नवत हैं :–

1. हनी प्रोसेसिंग, 2. निर्माण कार्य हेतु आयरन रिंग निर्माण, 3. कूलर/फैन/हीटर एसेम्बिलिंग, 4. एल0ई0डी0 बल्ब उत्पादन, 5. इलेक्ट्रिक स्यूच/सॉकेट/बोर्ड निर्माण, 6. इलेक्ट्रिक व्हीकल एसेम्बिलिंग इकाई, 7. स्पोर्ट्स सूज, 8. केला रेशा निर्माण, 9. सोया प्रोडक्ट, 10. जूट पर आधारित उत्पाद, 11. मिनी राईस मिल, 12. एग्रिकल्चर ड्रोन एज ए सर्विस

नोट :– उपरोक्त परियोजनाओं में से मेडिकल जाँच घर, केला रेशा निर्माण एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल एसेम्बिलिंग इकाई परियोजना का चयन करने वाले आवेदकों को आवेदन के साथ संबंधित परियोजना में प्रशिक्षण/कार्य अनुभव का प्रमाण–पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अर्हता :–

मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन हेतु अर्हता निम्न है :–

i. आवेदक बिहार के स्थायी निवासी हो।
ii. कम–से–कम 10+2 या इन्टरमीडिएट, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उतीर्ण हो।
iii. 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अन्तर्गत हो।
iv. इकाई प्रोपराईटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा Pvt. Ltd. Company हो।
v. प्रोपराइटरशीप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जाएगा।

योजनान्तर्गत कोटिवार आवेदन हेतु पात्रता :–

i. **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना :–** इस योजनान्तर्गत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
ii. **मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना :–** इस योजनान्तर्गत केवल अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरूष/महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।
iii. **मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना :–** इस योजनान्तर्गत सभी वर्ग की महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे।
iv. **मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना :–** इस योजनान्तर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरूष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

v. **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना** :– इस योजनान्तर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग के पुरूष / महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

वांछित दस्तावेज / कागजात :–

मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज / कागजात निम्न है :–

i. मैट्रिक उतीर्णता का प्रमाण–पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)।
ii. इन्टरमीडिएट या समकक्ष उतीर्णता का प्रमाण–पत्र।
iii. जाति प्रमाण–पत्र।
iv. स्थायी निवास प्रमाण–पत्र।
v. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (यदि आवश्यक हो)।
vi. आवेदक का Live फोटोग्राफ।
vii. आवेदक का हस्ताक्षर।

योजनान्तर्गत आवेदन करने / चयन की प्रक्रिया :–

मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत आवेदन करने एवं चयन की प्रक्रिया निम्न है :–

i. उद्यमी पोर्टल https://udyami.bihar.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा।
ii. निर्धारित तिथि तक प्राप्त कुल आवेदनों के विरूद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदनों का प्रारंभिक रूप से चयन किया जायेगा।
iii. प्रारंभिक रूप से आवेदकों का चयन कम्प्यूटराज्ड रेण्डमाईजेशन पद्धति से किया जायेगा।
iv. प्रारंभिक रूप से चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर स्क्रुटनी की जायेगी।
v. स्क्रुटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जायेगा।

नोट :– 1. आवेदक उसी जिले में अपने परियोजना को स्थापित करेंगे जिस जिले का स्थायी निवासी है, अन्यथा उनके आवेदन को रद्द कर दी जायेगी।

2. आवेदक आवेदन करते समय परियोजना का चयन सावधानीपूर्वक करें, एक बार परियोजना चयन के उपरांत उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

योजनान्तर्गत लाभ / वित्तीय सहायता :–

मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किये गये परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम रू0 10.00 लाख तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है जिसमें कुल परियोजना का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00 लाख तक अनुदान तथा

शेष 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण (युवा उद्यमी योजना के मामले में 1 प्रतिशत का ब्याज के साथ) के रूप में प्रदान किया जाएगा। आवेदकों को परियोजना राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल डी0पी0आर0 के अनुरूप किया जाएगा।

योजनान्तर्गत लाभुकों को परियोजना राशि की स्वीकृति एवं विमुक्ति निम्न प्रक्रिया के तहत की जायेगी :–

i. अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 06 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा।

ii. अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कुल 02 मौका दिया जायेगा तथा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में दिये गये ई–मेल/दूरभाष के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी। दोनों बार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जायेगा।

iii. प्रथम चरण के प्रशिक्षणोंपरांत आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाता (Current Account) में प्रथम किश्त की राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

iv. प्रथम किश्त की राशि से परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम रु0 1.50 लाख, बिजली कनेक्शन+सेफ्टी कीट के क्रय पर रु0 25.00 हजार एवं अन्य मद में रु0 25.00 हजार व्यय किया जायेगा।

v. लाभुक द्वारा परियोजना स्थल किराये पर लेने की स्थिति में 06 माह का मासिक किराया अथवा अधिकतम रु0 50.00 हजार, जो न्यूनतम हो, अग्रिम के रूप में व्यय किया जा सकेगा।

vi. लाभुक द्वारा अपने निकट संबंधी (माता/पिता/दादी/दादा) से परियोजना स्थल को किराये पर लेने की स्थिति में अग्रिम (06 माह का मासिक किराया अथवा रु0 50.00 हजार) भुगतान मान्य नहीं होगा।

vii. लाभुक को प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा अपलोड किये गये उपयोगिता का जाँच क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा।

viii. महाप्रबंधक के स्तर पर उपयोगिता स्वीकृत होने के उपरांत लाभूको का द्वितीय चरण में 06 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जायेगा।

ix. द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को कुल 02 मौका दिया जायेगा तथा प्रशिक्षण के निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में दिये गये ई–मेल/दूरभाष के माध्यम प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी। दोनों बार में अनुपस्थित रहने वाले लाभुकों को अगली किश्त की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

x. द्वितीय चरण के प्रशिक्षणोंपरांत आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाते (Current Account) में द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

xi. लाभुक मशीनरी क्रय में निर्धारित कुल लागत राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत राशि का उपयोग अपनी सुविधानुसार मशीनरी क्रय में कर सकते हैं।

xii. लाभुक को द्वितीय किश्त का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा तथा अपलोड किये गये उपयोगिता का जाँच क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जायेगा। महाप्रबंधक के स्तर प्राप्त अनुशंसा के उपरांत लाभुकों को तृतीय किश्त की राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

xiii. लाभुक द्वारा प्रथम/द्वितीय किश्त का 90 प्रतिशत राशि व्यय करने की स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लाभुक को अगली किश्त का अनुशंसा किया जा सकेगा।

xiv. लाभुक मॉडल डी0पी0आर0 में वर्णित मशीनरी से उन्नत/उत्कृष्ट क्षमता का मशीन अपने स्तर से अतिरिक्त राशि का व्यय कर क्रय कर सकते हैं।

xv. लाभुक द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का व्यय के क्रम में रु0 10.00 हजार से अधिक का सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम यथा–RTGS/NEFT/Cheque/DD/UPI/ Net Banking इत्यादि के माध्यम से ही मान्य होगा।

xvi. लाभुक द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से मशीनरी क्रय पर होने वाली राशि का भुगतान आपूर्तिकर्ता के फर्म/इकाई के खाता में ऑनलाइन माध्यम यथा–RTGS/NEFT/Cheque/DD/UPI/Net Banking इत्यादि के माध्यम से ही मान्य होगा।

xvii. मशीनरी क्रय का जी0एस0टी0 विपत्र ही मान्य होगा।

ऋण राशि का भुगतान (Repayment)/एकमुश्त राशि की वसूली (Recovery) :–

मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त प्राप्त लाभुको से **एकमुश्त राशि की वसूली** (Recovery) **अथवा ऋण राशि का भुगतान** (Repayment) निम्न प्रक्रिया के तहत की जाएगी :–

i. योजनान्तर्गत प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त प्राप्त लाभुकों द्वारा अपना उद्यम/इकाई स्थापित नहीं करने तथा परियोजना राशि का दुरूपयोग करने पर उनके विरूद्ध पी0डी0आर0 एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एकमुश्त राशि की वसूली की जायेगी।

ii. योजनान्तर्गत द्वितीय/तृतीय किश्त का भुगतान होने के एक वर्ष के बाद लाभुकों द्वारा कुल परियोजना राशि का 50 प्रतिशत अर्थात ऋण राशि का किश्तवार भुगतान

(Repayment) उद्यमी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जायेगा।

iii. निर्धारित समय पर ऋण राशि का किश्तवार भुगतान (Repayment) नही करने वाले लाभुकों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुकुल कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः—राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में।

जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख है और उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विवरणी निम्न हैः—

कोटि	कुल परिवारों की संख्या	गरीब परिवारों की संख्या	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	4328282	1085913	25.09%
पिछड़ा वर्ग	7473529	2477970	33.16%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	9884904	3319509	33.58%
अनुसूचित जाति	5472024	2349111	42.93%
अनुसूचित जनजाति	470256	200809	42.70%
कुल	27628995	9433312	34.14%

राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से **बिहार लघु उद्यमी योजना** लागू की गयी है।

2. योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023—24 में 250.00 करोड़ रूपये एवं 2024—25 में सांकेतिक रूप से 1000.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा।

3. **बजटः—** योजना के लिए प्रारंभ में कार्यान्यवन हेतु वर्ष 2023—24 एवं 2024—25 में क्रमशः 250.00 (दो सौ पचास) करोड़ एवं सांकेतिक रूप से 1,000.00 (एक हजार) करोड़ रूपये कुल 1,250.00 (एक हजार दो सौ पचास) करोड़ रूपये की राशि पर स्वीकृति दी गयी है। राज्य के सभी आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा।

4. योजना के लिए अर्हत्ता तथा इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका अनुसूची–1 पर संलग्न है।

5. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

6. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 16.01.2024 की बैठक में मद संख्या–09 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अनु0– मार्गदर्शिका।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

16/1/24

(संदीप पौण्डरीक)
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 256 / पटना, दिनांकः– 16/01/2024
सं0सं0–04तक० / बिहार लघु उद्यमी योजना / 67 / 2023 / (खण्ड)
प्रतिलिति :– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/24

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 256 / पटना, दिनांकः– 16/01/2024
सं0सं0–04तक० / बिहार लघु उद्यमी योजना / 67 / 2023 / (खण्ड)
प्रतिलिति :– मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/1/24

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 256 /पटना, दिनांकः– 16/01/2024
सं0सं0–04तक0 / बिहार लघु उद्यमी योजना / 67 / 2023 / (खण्ड)
प्रतिलिपि :– सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/24
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 256 /पटना, दिनांकः– 16/01/2024
सं0सं0–04तक0 / बिहार लघु उद्यमी योजना / 67 / 2023 / (खण्ड)
प्रतिलिपि :– उद्योग निदेशक / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पटना, मुजफ्फरपुर एवं उद्योग विभाग के सभी निगम / प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/24
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 256 /पटना, दिनांकः– 16/01/2024
सं0सं0–04तक0 / बिहार लघु उद्यमी योजना / 67 / 2023 / (खण्ड)
प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/24
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 256 /पटना, दिनांकः– 16/01/2024
सं0सं0–04तक0 / बिहार लघु उद्यमी योजना / 67 / 2023 / (खण्ड)
प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

16/1/24
अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 256 /पटना, दिनांकः– 16/01/2024
सं0सं0–04तक0/बिहार लघु उद्यमी योजना/67/2023/(खण्ड)
प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

16/1/24

अपर मुख्य सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची–01

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
मार्गदर्शिका
बिहार लघु उद्यमी योजना

जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख है और उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं।

2. जाति आधारित गणना के अनुसार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विवरणी निम्न प्रकार है:–

कोटि	कुल परिवारों की संख्या	गरीब परिवारों की संख्या	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	4328282	1085913	25.09%
पिछड़ावर्ग	7473529	2477970	33.16%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	9884904	3319509	33.58%
अनुसूचित जाति	5472024	2349111	42.93%
अनुसूचित जनजाति	470256	200809	42.70%
कुल	27628995	9433312	34.14%

3. सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं। इसलिए आवश्यकता है गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाये ताकि इन गरीब परिवारों में कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए।

4. **अर्हता**

योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हतायें निम्न प्रकार होगी:–

(i) आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(ii) लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए।

(iii) लाभुक की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रु0 से कम होनी चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रु0 से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

(iv) मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात दोनों में से एक ही योजना में लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

5. योजना का कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा निम्न प्रकार किया जायेगाः–

(i) योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाईन आवेदन की माँग की जायेगी, इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जायेगा।

(ii) आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभान्वितों का चयन Computerised Randomisation (कम्प्यूटरीकृत रैण्डमाइजेशन) के माध्यम से किया जायेगा।

(iii) उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जायेगा तथा 20 प्रतिशत आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा।

(iv) योजना के अन्तर्गत लाभुकों के चयन कंडिका–2 में दिये गये आंकड़ों के अनुपात में किया जायेगा।

(v) प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जायेगा। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे।

(vi) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिये अधिकतम रू० 2,00,000 (दो लाख रू०) की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। यह राशि 03 किस्तों में दी जायेगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि दी जायेगी। प्रत्येक किस्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली

किस्त की राशि दी जायेगी। प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा Toolkit/Machine क्रय के लिए प्रयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5 प्रतिशत की दर से व्यय किया जायेगा।

6. योजना के अन्तर्गत अनुमान्य व्यवसाय राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि से अनुलग्नक–1 के अनुसार व्यवसाय किये जा सकेंगे। राज्य अनुश्रवण समिति सूची में परिवर्तन कर सकेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में यदि कोई कठिनाई आती है, तो उस संबंध में राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

7. योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में 250.00 (दो सौ पचास) करोड़ रूपये एवं 2024–25 में सांकेतिक रूप से 1,000.00 (एक हजार) करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया जा रहा है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। राज्य स्तरीय लक्ष्य को जिलों में गरीब परिवारों की संख्या के अनुपात में जिला स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।

8. योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु निर्धारित बजट शीर्ष से संबंधित लाभुकों के लिए किया जायेगा।

9. योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्न प्रकार होंगी:–

i. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग:– अध्यक्ष

ii. वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी:– सदस्य

iii. ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी:–सदस्य

iv. श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी:– सदस्य

v. उद्योग विभाग द्वारा नामित दो प्रतिनिधि:– सदस्य

vi. निदेशक, उद्योग अथवा निदेशक, तकनीकी विकासः— सदस्य सचिव

उक्त समिति द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संशोधन करने के लिए उक्त समिति सक्षम होंगी।

10. जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जो निम्न प्रकार होगीः—

i. जिला पदाधिकारी — अध्यक्ष

ii. उप विकास आयुक्त — सदस्य

iii. जिला कल्याण पदाधिकारी — सदस्य

iv. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी — सदस्य

v. श्रम अधीक्षक — सदस्य

vi. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र — सदस्य सचिव

इस समिति का कार्य योजना को सुचारू रूप से संचालित करना एवं योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना तथा आने वाली कठिनाईयों को दूर करना होगा

बिहार लघु उद्यमी योजना

कार्य की सूची (List of activities) अनुलग्नक–I

क्र०सं०	उत्पाद का नाम
	खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)
1	आटा, सत्तु एवं बेसन उत्पादन (Atta, Sattu & Besan Manufacturing)
2	मसाला उत्पादन (Spice Production)
3	नमकीन उत्पादन (Namkeen Production)
4	जैम/जेली/सॉस उत्पादन (Jam/Jelly/Sauce Manufacturing)
5	नूडल्स उत्पादन (Noodles Manufacturing)
6	पापड़ एवं बड़ी उत्पादन (Papad & Bari Manufacturing Unit)
7	आचार, मुरब्बा उत्पादन (Pickles Manufacturing Unit)
8	फलों के जूस की इकाई (Fruit Juice)
9	मिठाई उत्पादन (Sweets Production)
	लकड़ी के फर्निचर उद्योग (Wood Furniture Industry)
10	बढ़ईगिरी (Carpentry)
11	बाँस का सामान, फर्निचर उत्पादन इकाई (Bamboo Article and Furniture Manufacturing unit)
12	नाव निर्माण (Boat Maker)
13	बढई गिरी एवं लकड़ी के फर्निचर (Carpentry & Wood Furniture Workshop)
14	बेंत का फर्निचर निर्माण (Cane Furniture Manufacturing)
	निर्माण उद्योग (Construction Industries)
15	सीमेन्ट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि (Cement Jalli, Doors, windows etc.)
16	प्लास्टर ऑफ़ पेरिस का सामान (Plaster of Paris Item)
	दैनिक उपभोक्ता सामग्री (Daily Consumer Item)
17	डिटर्जेन्ट पाउडर, साबुन एवं शैम्पु (Detergent Powder, Soap & Shampoo)
18	बिन्दी एव मेहंदी उत्पादन इकाई (Bindi&Mehandi Manufacturing Unit)
19	मोमबत्ती उत्पादन (Candle Manufacturing)
	ग्रामीण इंजिनियरिंग (Rural Engg.)
20	कृषि यंत्र निर्माण (Agri Equipment Manufacturing Unit)
21	गेटग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई (Gate grill Fabrication Unit / Welding Unit)
22	मधुमक्खी का बक्सा निर्माण (Bee-Box Manufacturing)
23	आभूषण निर्माण वर्कशॉप (Gold Manufacturing Workshop)

24	स्टील का बॉक्स/ट्रंक/रैक निर्माण (Steel Box / Trunk / Racks Manufacturing Unit)
25	स्टील का अलमीरा निर्माण (Steel Almirah Manufacturing)
26	लोहार/हथौड़ा और टूल किट निर्माण (Blacksmith/Hammer and Tool Kit Maker)
	इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई०टी० आधारित (Electrical & Electronics and I Based)
27	बिजली पंखा एसेम्बलिंग (Electrical Fan assembling)
28	स्टेबिलाइजर/इनवर्टर/यू0पी0एस0/सी0वी0टी0 एसैम्बलिंग (Stabilizer / Inverter / UPS / CVT assembling)
29	आई0 टी0 बिजनेस केन्द्र (IT Business Centre)
	रिपेयरिंग एवं मेन्टनेंस (Repair & Maintenance)
30	मोबाईल एवं चार्जर रिपेयरिंग (Mobile Repairing & Mobile Charger Making)
31	ऑटो गैरेज (Auto Garage)
32	एयर कंडिसन रिपेयरिंग (Air Conditioner repair Service)
33	टू-व्हीलर रिपेयरिंग (Two Wheeler Repairing Shop)
34	टायर रिट्रेडिंग (Tyre Vulcanizing / Retread)
35	डीजल इंजन एवं पम्प रिपेयरिंग (Repair of Diesel Engines & Pump Sets)
36	बिजली मोटर बाइडिंग (Motor Winding)
37	ताला/चाभी की मरम्मति (Key Maker/Locksmith)
	सेवा उद्योग (Service Indsutry)
38	सैलून (Barber Shop (Saloon)
39	ब्यूटीपार्लर (Beauty Parlour)
40	ढ़ाबा/होटल/रेस्टोरेन्ट/फुड ऑन व्हील्स (Establishment of Dhaba/ Hotel/Restaurant/Food on Wheels)
41	ड्राईक्लीनिंग/लॉन्ड्री (Dry Cleaning/Laundry)
42	राजमिस्त्री (Mason)
	विविध उत्पाद (Misc. Products)
43	सोना/चाँदी जेवर निर्माण (Gold/Silver Jewellery making Unit)
44	केला रेशा निर्माण (Banana Fibre)
45	फूल का माला/सजावटी माला निर्माण (Garland Maker)
	टेक्सटाईल एवं होजरी उत्पाद (Textiles and Hosiery Products)
46	रेडिमेड वस्त्र निर्माण (Readymade garments)
47	कसीदाकारी (Knitting Machines & Garments)
48	बेडसीड, तकिया कवर निर्माण (Bed Sheet with Pillow Covers Set)
49	मच्छरदानी/मछली पकड़ने का जाल निर्माण (Mosquito Net/Fishing Net Manufacturing)

	चमड़ा एवं इससे संबंधित उत्पाद **(Leather and semi Leather Products)**
50	चमड़े के जैकेटस निर्माण (Leather Garments)
51	चमड़े के जूता निर्माण (Leather Shoes)
52	चमड़े के बैग, बेल्टस, वालेट एव ग्लोब्स आदि निर्माण (Leather Accessories like Bags, Belts, Wallets & Gloves etc.)
53	चमडे एवं रेक्सीन का सीट कवर निर्माण (Leather and Rexin Sheets Cover for Vehicles)
	हस्तशिल्प **(Handicraft)**
54	पीतल/ब्रास नक्कासी (Brass / Bronze Craft)
55	काष्ठ कला आधारित उद्योग (Wood based Craft Industries)
56	पत्थर की मूर्ति निर्माण (Stone based)
57	जूट आधारित क्राफ्ट (Jute based)
58	लाह चूड़ी निर्माण (Lac Bangles)
59	गुड़िया और खिलौना निर्माण (Doll and Toy Maker)
60	टोकड़ी/चटाइ/झाड़ू का निर्माण (Basket/Mat/Broom Maker/Coir Weaver)
61	कुम्हार (मिट्टी का बर्तन/खिलौना निर्माण) (Potter)
62	**अन्य** (राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित अन्य कोई व्यवसाय)